रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 56]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2 , 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 100(अ).—बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (त) के साथ पठित धारा 245ण की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति**—(1) रिक्ति का परिचालन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और आवेदकों से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से पूर्ण आवेदन भेजने का अनुरोध किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ;

(ग) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ;

(घ) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।

(3) समिति की बैठक की गणपूर्ति, चयन समिति के किन्हीं तीन सदस्यों, जिसके अंतर्गत समिति का अध्यक्ष भी है, से होगी ।

(4) चयन समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी ।

(5) चयन समिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्विकता के क्रम में तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता – किसी भी व्यक्ति की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है ।

[फा. सं. क्यू.23016/6/2015-एड.I.सी(एएआर)]

एस. भौमिक, अवर सचिव